रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खंण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 6, 2001/कार्तिक 15, 1923
No. 808] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 6, 2001/KARTIKA 15, 1923

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2001

का.आ. 1098 (अ).—यत: यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान/आंचलिक विकास योजना में केन्द्र सरकार का जिन कुछ उपांतरणों का प्रस्ताव है उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 23 मार्च, 2001 की सार्वजनिक सूचना सं. के-20013/4/2000/डीडी I बी द्वारा प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख के तीस दिन के भीतर उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यत: प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ और यत: केन्द्र सरकार ने मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद मास्टर प्लान को संशोधित करने का निर्णय लिया है।

3. अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 11-ए की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 16 मई, 2001 की सम्संख्यक अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपांतरण

1. शेर शाह सूरी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित दिल्ली उच्च न्यायालय परिसर के संबंध में 47415 वर्ग मी. की दिल्ली उच्च न्यायालय की कुल प्लाट भूमि में 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ग्राउंड कवरेज बढ़ाना अनुमत्य है। इसमें वैल्सले मैस की तरफ उच्च न्यायालय के पीछे की चारदीवारी के साथ लगी भूमि का प्लाट (1.3338 एकड़) और बापा नगर रिहायशी क्षेत्र की ओर से उच्च न्यायालय परिसर के किनारे के प्रवेश मार्ग से लगी दिल्ली उच्च न्यायालय की अन्य प्लाट भूमि (0.520 एकड़) शामिल है।

[सं. के-20013/4/2000-डीडी I बी]
देवेन्द्र कुमार गोयल, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT & POVERTY ALLEVIATION

(Delhi Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2001

S.O. 1098(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposes to make in the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan regarding the area mentioned hereunder were published as a Public Notice vide No. K-20013/4/2000-DDIB dated 23rd March, 2001 in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice;

2. Whereas in response to Public Notice no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Covernment have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan ;

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification, superseding the earlier Notification of even number dated 16th May, 2001, in the said Master Plan for Delhi with effect from the date of publication of this Notification in the Gazette of India.

MODIFICATIONS

1. It is permitted to increase the ground coverage from 25% to 30% in total plot of land of Delhi High Court measuring 47415 sq. m. in respect of Delhi High Court Complex at Sher Shah Suri Marg, New Delhi. It includes the plot of land adjoining the rear boundary of the High Court towards Wellsley Mess side (1.3338 acres) and another plot of land of Delhi High Court (0.520 acres) adjoining the side entry of the High Court Complex towards Bapa Nagar residential areas.

[No. K-20013/4/2000-DDIB]

DEVENDRA KUMAR GOEL, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054